



(☎ 022-22862703)  
ई-मेल e-mail-[irw@dae.gov.in](mailto:irw@dae.gov.in)  
फैक्स Fax No. - 2204 8476 &  
2282 4354

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY  
ओ. सं. एवं क. अनुभाग  
IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन  
Anushakti Bhavan,  
छ. शि. म. मार्ग  
C.S.M. Marg,  
मुंबई Mumbai - 400001

सं. No. 7/3/2017/IR&W(Vol.II) / 15101

दिसंबर December 4, 2018

**कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM**

विषय : सीएचएसएस योजना क्षेत्र के बाहर रहने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ओपीडी इलाज की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

Sub : Reimbursement for OPD treatment to retired employees who stay outside CHSS area.

सीएचएसएस योजना क्षेत्र के बाहर रहने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ओपीडी इलाज की प्रतिपूर्ति के संबंध में इस विभाग का ध्यान आकर्षित किया गया है। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि यथास्थिति बनाए रखी जाए और सेवारत कर्मचारियों के दावों की प्रतिपूर्ति सीएस (एमए) के उपबंधों तथा सेवानिवृत्त लाभार्थियों के दावों की प्रतिपूर्ति सीजीएस के दरों के अधीन की जाए।

Reference has been received in this Department regarding reimbursement for OPD treatment to retired employees who stay outside CHSS area. In this regard it has been decided to maintain the status quo and reimburse the claims under the provisions of CS(MA) for serving employees and at CGHS rates for retired beneficiaries.

इसे सचिव, पञ्चवि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।  
This is issued with the approval of Secretary, DAE

(राकेश गर्ग Rakesh Garg)

निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

सेवा में To

**सभी सीएचएसएस प्रशासनिक प्राधिकारी**  
**All CHSS Administering Authorities.**